

वार्षिक प्रतिवेदन



2015-2016

Bihar State Disaster Management Authority

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण



आपदा नहीं हो भारी
यदि पूरी हो तैयारी

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार

माननीय मुख्यमंत्री-सह-प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार



बिहार को एक आपदा मुक्त राज्य बनाने के संकल्प के प्रति समर्पित बिहार के लोकप्रिय, कर्मयोगी राजनेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री-सह-अध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में प्राधिकरण इस संकल्प की प्राप्ति की ओर निरंतर अग्रसर है।

2015-16 का वर्ष आपदाओं की दृष्टि से चुनौतियों भरा रहा परंतु माननीय मुख्यमंत्री-सह-प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुरक्षित बिहार की जो नींव रखी गयी, वह भारत ही नहीं अपितु विश्व के कई देशों में अग्रणी है। सेंडाई में मार्च 2015 में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तृतीय विश्व सम्मेलन में तत्कालीन प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन श्री व्यास जी द्वारा भारतीय प्रतिनिधिमंडल में बिहार का प्रतिनिधित्व किए जाने के साथ ही बिहार में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ। उपरोक्त सम्मेलन की पृष्ठभूमि में माननीय मुख्यमंत्री-सह-प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्देशानुसार बिहार सरकार ने भी राज्य के लिए एक आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015-30) तैयार करने का निर्णय लिया।

माननीय मुख्यमंत्री-सह-प्राधिकरण के अध्यक्ष के कुशल नेतृत्व में एक वर्ष के अंदर ही व्यापक एवं सघन विचार-विमर्श के पश्चात बिहार का आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015-30) बनकर तैयार हुआ और उसे कैबिनेट का अनुमोदन भी प्राप्त हो गया।

माननीय मुख्यमंत्री-सह-प्राधिकरण के अध्यक्ष के दृढ़ संकल्प और आपदा प्रबंधन के प्रति समर्पण की झलक उनके इस प्रेरणदायी वक्तव्य में देखने को मिलती है - **राज्य के स्वजाने पर आपदा प्रभावितों का पहला हक है....**

विषय सूची

1. प्राधिकरण की दृष्टि
2. प्राधिकरण का लक्ष्य, उद्देश्य एवं भूमिका
3. सदस्यों का मनोनयन
4. भवन
5. प्राधिकरण के लिए स्वीकृत पद
6. प्राधिकरण के प्रशासनिक संभाग की रूप रेखा
7. प्राधिकरण के प्रमुख कार्यक्षेत्र
8. प्राधिकरण की 9वीं बैठक
9. परियोजना एवं अन्य गतिविधियाँ
10. प्राधिकरण के पदाधिकारियों का विवरण

बि०रा०आ०प्र०पा० के उपाध्यक्ष श्री अनिल कुमार सिन्हा, सदस्य प्रो ए० एस० आर्या एवं सदस्य डॉ० उदय कांत मिश्र के दिशा-निर्देश में वरीय संपादक मोनीषा दुबे द्वारा संकलित एवं संपादित।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

“बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन” आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (53 की धारा 14 के अंतर्गत) के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 3449/आ0प्र0 दिनांक 06.11.2007 के तहत हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव पदेन सदस्य एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं। प्राधिकरण में एक उपाध्यक्ष समेत कुल 9 सदस्य रखने का प्रावधान है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उपरोक्त 2005 के अधिनियम के उपबंधों के आलोक में राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां एवं योजनाएं बनाने के लिए उत्तरदायी है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह राज्य में आपदा प्रबंधन की नीतियों एवं योजनाओं का सूत्रण सुनिश्चित करे:-

- (क) राज्य आपदा प्रबंधन नीति निर्धारण करना।
- (ख) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार राज्य योजना का कार्यान्वयन करना।
- (ग) राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गयी आपदा प्रबंधन योजनाओं का अनुमोदन करना।
- (घ) आपदा न्यूनीकरण के समावेशन और तैयारी उपायों के लिए निधियों की व्यवस्था करने की अनुशंसा राज्य सरकार को करना।
- (ङ.) राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा कर सुनिश्चित करना कि आपदाओं की रोकथाम

एवं न्यूनीकरण के उपाय इन योजनाओं में शामिल किये गये हैं।

- (च) राज्य सरकार के विभागों द्वारा आपदा न्यूनीकरण, प्रशमन, क्षमतावर्द्धन और तैयारी के लिए किये जा रहे उपायों की समीक्षा करना एवं आवश्यकतानुसार मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना।

उपरोक्त के आलोक में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 19 के अनुसार राज्य के आपदा प्रभावितों के राहत के लिये मानदण्ड तय करना (परंतु यह मानदण्ड किसी भी दशा में “राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण” द्वारा निर्धारित मानदण्ड से कम नहीं होना चाहिये)।

‘आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005’ के अनुसार प्राधिकरण की राज्य कार्यकारिणी समिति को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समन्वयन की सुपरिभाषित जवाबदेही सौंपी गयी है। प्रत्येक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये आपदा प्रबंधन योजना का अनुमोदन करने की जिम्मेदारी प्राधिकरण की है। ‘आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005’ के अनुसार किसी भी आपदा के उत्पन्न होने की दशा में यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि बचाव या राहत के लिये किसी सामग्री की तुरंत आवश्यकता है, तो वह संबंधित विभाग अथवा प्राधिकार को यह निदेश दे सकता है कि वह आकस्मिकता से निपटने के लिये सामग्री या संसाधन की व्यवस्था करे या ऐसे मामलो मे निविदा आमंत्रित करने की शर्त शिथिल रखे।

प्राधिकरण की दृष्टि

‘सुरक्षित एवं आपदा मुक्त बिहार का निर्माण’

प्राधिकरण के प्रेरक सिद्धांत

विकास ऐसा हो जो आफत से बचाये ।
विकास ऐसा न हो जो आफत बन जाये ॥

आपदा नहीं हो भारी ।
यदि पूरी हो तैयारी ॥

प्राधिकरण का लक्ष्य, उद्देश्य एवं भूमिका

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों को विहित किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंधन नीति बनाना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नीति के अंतर्गत राज्य योजना का अनुमोदन करना, राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किये गये आपदा प्रबंधन योजनाओं का अनुमोदन करना, तैयार मार्गदर्शिका को संबंधित विभागों से कार्यान्वित कराना, आपदा की स्थिति में अनिवार्य राशि के व्यय की अनुशंसा करना, विभिन्न विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को शामिल कराना तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित विकास योजना की समीक्षा करना आदि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य दायित्व हैं।

सदस्यों का मनोनयन

माननीय मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव पदेन सदस्य सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी है। श्री अनिल कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0 (से0नि0) को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। तदनुसार वे दिनांक 02.08.2010 के प्रभाव से आलोच्य वर्ष में उपाध्यक्ष के पद पर पदासीन रहे। प्राधिकरण के सदस्य के रूप में प्रो ए0 एस0 आर्य (से. नि. प्रोफेसर भूकम्प अभियंत्रिकी, आई0आई0टी0, रूड़की) दिनांक 15.4.2010) से कार्यरत हैं। प्राधिकरण के सदस्य के रूप में डॉ0 उदयकान्त मिश्र, (से. नि. प्रतिकुलपति आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय) ने दिनांक 15.4.2015 को पदभार ग्रहण किया है। ये दोनों महानुभाव आलोच्य वर्ष में सदस्य के रूप में कार्यरत रहे।

भवन

सम्प्रति बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्यालय पंत भवन, द्वितीय तल, पर स्थित है, जो कृषि विपणन पर्षद बिहार, पटना से किराये पर ली गई है। एकरारनामे के अनुसार किराये की राशि प्रतिमाह ₹79637/- (उन्नासी हजार छः सौ सैतीस रू0) निर्धारित है।

प्राधिकरण का प्रतीक चिन्ह (Logo)

वर्ष 2007 में प्राधिकरण के गठन के बाद तत्काल अपने **Logo** का विकास नहीं हो पाया था। प्राधिकरण द्वारा अपना **Logo** बनवाने के लिए पटना आर्ट कॉलेज में दिनांक- 26.11.2010 को एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।

प्राधिकरण द्वारा **Logo** के संबंध में प्रतियोगिता का पारितोषिक/ प्रशस्ति पत्र के वितरण का कार्यक्रम दिनांक-26.5.2011 को कला एवं शिल्प महाविद्यालय, पटना के प्रांगण में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में कला एवं शिल्प महाविद्यालय, पटना के छात्रों द्वारा भाग लिया गया। इस महाविद्यालय




के छात्र श्री गौतम कुमार द्वारा **Logo** का प्रारूप तैयार किया गया, जिसे चयन समिति द्वारा चयनित किया गया। उल्लेखनीय है कि **Logo** में दर्शाया गया हाथ का चिह्न गौतम बुद्ध का है तथा इसमें दिखाया गया मकान/घर भूकम्प से प्रभावित है, इसी हाथ के नीचे दिया गया पानी बाढ़ का सूचक है। इनके माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि अन्य आपदाताओं के अतिरिक्त बिहार राज्य बाढ़ एवं भूकम्प के लिए सर्वाधिक संवेदनशील है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के बीच द्वार पारितोषिक एवं प्रशस्ति पत्र वितरित किया गया।

प्राधिकरण के स्वीकृत पद-

वर्तमान में प्राधिकरण हेतु स्वीकृत पदों की सूची अनुलग्नक-1 पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्राधिकरण का पुर्नगठन होने के फलस्वरूप वर्तमान में प्राधिकरण का संघटनात्मक ढांचा निम्न प्रकार है :-



आपदा जोखिम न्यूनीकरण में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भूमिका

बिहार में आपदा का संपूर्ण परिदृश्य विभिन्न आपदाओं के सम्मिश्रण से उत्पन्न होता है जो कि यहाँ के निवासियों के लिए अत्यंत विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न करता रहा है। यह एक बहुआपदा प्रवण राज्य है जहाँ सभी प्रमुख प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं का कहर समय समय पर राज्य के निवासियों पर बरपा है। राज्य के सभी 38 जिले विभिन्न आपदाओं के लिए प्रवण हैं। बाढ़, भूकंप, चक्रवाती तूफान, सुखाड़, अगलगी लू, शीत लहर आदि अनेक प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदायें राज्य को प्रभावित करती रही हैं। राज्य के 8 जिले भूकंप के सर्वाधिक संवेदनशील Zone V में 24 जिले Zone IV में तथा 6 जिले Zone III में आते हैं। इसी प्रकार बाढ़ कि दृष्टि से भी बिहार अत्यंत संवेदनशील है। राज्य के कुल 28 जिले बाढ़ के प्रति संवेदनशील हैं जिनमे 15 जिले अति बाढ़ प्रवण एवं 13 जिले बाढ़ प्रवण की श्रेणी में आते हैं।

विभिन्न आपदाओं के संयुक्त प्रभाव को देखते हुए राज्य के आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015-30) में सभी जिलों को तीन श्रेणियों में रखा गया है - श्रेणी A में बाढ़ के प्रति अत्यंत संवेदनशील एवं भूकंपीय Zone V में शामिल 10 जिलों को शामिल किया गया है, श्रेणी B में अन्य

बाढ़ प्रवण एवं भूकंपीय Zone IV में शामिल 18 जिलों को रखा गया है और श्रेणी C में मुख्यतः सुखाड़ के प्रति संवेदनशील एवं भूकंपीय Zone III में शामिल 10 जिलों को रखा गया है। इस प्रकार के श्रेणी विभाजन में अन्य आपदाओं को भी संज्ञान में लिया गया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में सभी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के दायित्वों एवं अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसके प्रावधानों के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के प्रमुख दायित्व इस प्रकार हैं-

- राज्य आपदा प्रबंधन नीति का निर्धारण
- राज्य आपदा प्रबंधन योजना का अनुमोदन
- राज्य की विभिन्न आपदा प्रबंधन योजनाओं का अनुमोदन
- राज्य की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रावधानों को शामिल करने संबंधी दिशा निर्देशों का निरूपण
- राज्य आपदा प्रबंधन योजना के निष्पादन का समन्वय
- आपदाओं के न्यूनीकरण एवं उनसे निपटने की तैयारी के लिए आवश्यक कोष (Funds) हेतु संस्तुति प्रदान करना।

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण को समाहित करने के परिप्रेक्ष्य में राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं का पुनरीक्षण करना ।
- राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा आपदाओं के न्यूनीकरण एवं क्षमता निर्माण एवं तैयारी के प्रयासों का पुनरीक्षण एवं तत्संबंधी आवश्यक दिशा निर्देशों का निरूपण ।
- राज्य में आपदाओं के पश्चात राहत वितरण के मानक निर्धारित करना जो कि राष्ट्रीय मानकों से कमतर नहीं होने चाहिए ।
- राज्य आपदा प्रशमन कोष (State Disaster Mitigation Fund) की स्थापना ।
- क्षमता वर्धन, प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम ।
- संरचनात्मक जोखिम न्यूनीकरण एवं सुरक्षित निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अभियंताओं, वास्तुविदों एवं राजमिस्त्रियों को भूकंपरोधी निर्माण हेतु प्रशिक्षण ।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण को सभी विकास कार्यों में समाहित करना ।
- सभी आपदाओं के संबंध में प्रभावशाली पूर्व सूचना प्रणाली को विकसित करना ।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में नए शोध कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना एवं तत्संबंधी सहयोग प्रदान करना ।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रावधानित उपरोक्त सभी दायित्वों का बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्वहन किया जा रहा है । इन दायित्वों के निरूपण हेतु प्राधिकरण द्वारा समय समय पर अनेक गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं और अनेक परियोजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जाता है जिनमें मुख्य हैं-

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण को केन्द्र में रख कर राज्य एवं जिला स्तर पर संगठनात्मक सुदृढीकरण ।
- राज्य, जिला एवं विभागीय स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं का निर्माण ।
- सभी भागीदारों एवं प्रभावितों का आपदा प्रबंधन संबंधी

प्राधिकरण के इन समस्त कार्यक्रमों एवं योजनाओं को संचालित एवं क्रियान्वित करने हेतु प्राधिकरण में निम्नानुसार पाँच प्रभाग कार्यरत हैं-

- प्राकृतिक आपदा प्रभाग
- मानव जनित आपदा प्रभाग
- पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
- मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण प्रभाग
- प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रभाग

इन प्रभागों के अतिरिक्त मीडिया एवं आई टी प्रभाग द्वारा प्राधिकरण के कार्यों के संपादन एवं प्रचार-प्रसार एवं Mass Messaging में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया जाता है ।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रभाग एवं गतिविधियां

प्राधिकरण में लक्ष्यों/उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नांकित प्रभागों का गठन किया गया है, जो प्राधिकरण के क्रिया कलापों को चार भाग में कार्यान्वित करते हैं।

1. मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण प्रभाग

प्राधिकरण के मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण प्रभाग के प्रमुख कार्यों का निरूपण बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कृत्य एवं प्रबंधन नियमावली 2012 में किया गया है। इसके अनुसार इस प्रभाग द्वारा विभिन्न परिसंकेतों (प्राकृतिक एवं मानव) के शमन एवं तत्परता के लिए निम्नलिखित क्रिया कलाप किए जायेंगे-

- क्षमता निर्माण करना, विभिन्न पणधारकों (स्टेक होल्डर्स) का लक्ष्यांकन (प्रथमतः सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सरकारी पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए लक्ष्यांकित किया जाएगा) ।
- वास्तुविदों, अभियंताओं, चिकित्सकों, शिक्षाविदों, उद्योगपतियों विनिर्माताओं और संविदाकारों आदि से संपर्क साधना ताकि दोषपूर्णता मूल्यांकन, जोखिम विश्लेषण और आपदा प्रबंधन के विभिन्न घटकों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जा सके ।
- वांछित फलाफल की प्राप्ति के लिए समुचित रणनीति तैयार करना ।
- विभिन्न स्तर पर लोगों की समुचित शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम तैयार करना ।
- प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सांस्थिक सुविधाएँ सृजित करने और शैक्षिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सहायता करना ।

- न केवल पूर्व से कार्यरत सभी पदधारकों को प्रशिक्षण देना बल्कि सरकार, विभिन्न उपक्रमों या गैर सरकारी संगठनों के अधीन सेवा में आने वालों को भी निरंतर प्रशिक्षित करना ।

नियमावली के उपर्युक्त उपबंधों की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहते हुए इस प्रभाग द्वारा प्रमुख रूप से निम्न कार्यक्रमों योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया-

- राज्य के सभी 38 जिलों के लिए बहु आपदा जिला आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण प्रारंभ किया गया । इसके क्रियान्वयन के क्रम में 30 जुलाई 2015 को पटना में एक Inception workshop आयोजित किया गया जिसमें जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाने में कार्यरत सभी एजेंसियों द्वारा कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी । पुनः 6, 7 जनवरी, 2016 को सभी एजेंसियों के साथ कार्य के प्रगति की समीक्षा की गयी ।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के सुदृढीकरण एवं सफल क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश तैयार किया जा रहा है ।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के सुदृढीकरण की दिशा में जिलों की विभिन्न आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए उन्हे आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित एवं अनुभवी मानव संसाधन प्रदान करने की दिशा में प्रयास चल रहे हैं ।
- कार्यालय आपदा प्रबंधन योजना (Office Disaster Management Plan) के संबंध में विभिन्न विभागों को संवेदित एवं प्रशिक्षित किया गया ।
- आपदा संवाद मंच के माध्यम से समय-समय पर विभिन्न विशेषज्ञों को प्राधिकरण में आमंत्रित किया गया और विभिन्न प्रमुख विषयों पर उनके व्याख्यान आयोजित किए गए ।
- समय-समय पर विभिन्न संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को नियमित रूप से Internship

कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया ।

- 25-26 अप्रैल 2015 एवं 12 मई 2015 को आप भूकंप के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा तत्काल एक EOC स्थापित किया गया जो लगभग एक महीने तक कार्यरत रहा उसमें राज्य के विभिन्न हिस्सों के प्रभावितों की समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए संबंधित एजेंसियों को उनके निराकरण हेतु प्रेषित किया गया ।
- राज्य के प्रशासन की रीढ़ माने जाने वाले बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) के पदाधिकारियों का बिपार्ड के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । 2 जुलाई 2015 को 8 वॉ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ।
- माननीय मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से पहली बार 1-15 जुलाई 2015 तक विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन पूरे राज्य में किया गया । यह आयोजन शिक्षा विभाग एवं NDRF के सहयोग से किया गया । इस संबंध में 3 जुलाई 2015 को पटना में माननीय मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उपस्थिति में लगभग 5000 छात्र-छात्राओं द्वारा गांधी मैदान पटना में एक सामूहिक Mega Mock Drill का आयोजन किया गया । माननीय मुख्यमंत्री ने 4 जुलाई को विद्यालय सुरक्षा दिवस घोषित किया । इस पखवारे की तैयारी के सिलसिले में 1 जून 2015 को प्रेम चन्द्र रंगशाला में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया ।
- नगरीय आपदा प्रबंधन योजना (City Disaster Management Plan) की तैयारी के संबंध में विभिन्न भागीदारों (Stake Holders) के साथ बैठक का आयोजन 19 जून 2015 को किया गया ।
- आपदा के पश्चात होने वाली क्षतियों के सही मूल्यांकन के लिए Post Disaster Needs Assessment (PDNA) Tools पर ADPC, Bangkok के सहयोग से 21-23 सितंबर 2015 तक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ।
- अन्य प्रभागों की तरह मानव संसाधन, विकास, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण प्रभाग के लिए भी एक सलाहकार समिति का गठन किया गया और इसकी पहली बैठक 7 नवम्बर 2015 को आयोजित की गयी ।
- 27-28 नवम्बर 2015 को प्राधिकरण द्वारा नगरीय विकास विभाग के

- सहयोग से राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में कार्यरत लगभग 250 अभियंताओं एवं वास्तुविदों के लिये भूकंपरोधी निर्माण तकनीकों पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ।
- ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में आपदा प्रबंधन (विशेष रूप से पशुओं के संबंध में) के प्रति जन जागरूकता पैदा करने के लिए एक शिविर का आयोजन 23 नवम्बर से 24 दिसंबर 2015 तक हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में किया गया ।
- प्राधिकरण के 8 वें स्थापना दिवस (6 नवम्बर) के उपलक्ष्य में 19 दिसंबर 2015 को अधिवेशन भवन (सिंचाई भवन परिसर) पटना में 'साझा 2015' कार्यक्रम का आयोजन किया गया । यह कार्यक्रम राज्य स्वयं सेवक दिवस के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के स्वयं सेवकों के साथ आयोजित किया गया ।
- प्रत्येक वर्ष की भाँति 2015 में भी 22-23 मार्च 2016 को बिहार दिवस के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अन्य भागीदारों के साथ समन्वय में एक जागरूकता पैवेलियन बनाया गया । इसके माध्यम से हज़ारों की संख्या में लोगों में आपदा के प्रति जागरूकता पैदा की गयी ।
- राजमिस्त्रियों की ट्रेनिंग ?

2. मानव जनित आपदा प्रभाग

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (कृत्य एवं प्रबंधन) नियमावली 2012 के अनुसार मानव जनित आपदा प्रभाग की भूमिका एवं प्रमुख कृत्य इस प्रकार हैं-

- बिहार में मानव जनित परिसंकट तथा उनसे लोग अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करना ।
- पूर्व कार्रवाई करने के प्रति पणधारकों (Stakeholders) को संवेदनशील बनाना ताकि परिसंकट का प्रभाव न्यूनतम किया जा सके ।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों और अस्पतालों, औषधालयों की सुरक्षा के प्रति ध्यान केंद्रित करना ।
- नगर निगम, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों की भवन उपविधियों में उपांतरण पुनः स्थापित करना तथा उपविधियों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए उन्हें सशक्त बनाना ।

- मानव जनित आपदाओं के घटित होने के संबंध में जिला पंचायतों एवं ग्राम सभाओं को संवेदनशील बनाना उन्हें सशक्त करना तथा उनके आवासीय/शासकीय मकानों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए साधारण दिशा निर्देश उपलब्ध करना ।
- विश्लेषण एवं योजना बनाने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करना ।
- सभी मानव जनित परिसंकटों के प्रभाव का शमन करने के लिए विभिन्न पणधारको (Stakeholders) की क्षमता निर्माण में सहायता करना ।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा जारी सुसंगत दिशा निर्देशों को प्रसारित करना और राज्य में उनके कार्यान्वयन के लिए कदम उठाना ।

नियमावली के उपर्युक्त उपबंधों की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहते हुए इस प्रभाग द्वारा प्रमुख रूप से निम्न कार्यक्रमों/योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया –

- अग्नि सुरक्षा सप्ताह 14 – 20 अप्रैल के दौरान प्राधिकरण द्वारा बिहार अग्नि शमन सेवा के साथ मिलकर अनेक जागरूकता कार्यक्रमों एवं स्कूलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया ।
- पर्व एवं त्यौहारों के दौरान भीड़ प्रबंधन एवं आग से संबंधित मानवीय भूलों एवं असावधानियों के कारण होने वाली अनेक दुर्घटनाओं से बचाव हेतु विभिन्न समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों द्वारा Dos & Don'ts का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया ।
- छठ पर्व को बिना किसी दुर्घटना के सुचारु रूप से सम्पन्न कराने के लिए प्राधिकरण ने जिला प्रशासन के साथ पूर्ण सहयोग किया । पटना में तैनात विभिन्न दंडाधिकारियों को प्राधिकरण द्वारा भीड़ प्रबंधन एवं मेला प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।
- मानव जनित आपदा पर प्राधिकरण द्वारा गठित सलाहकार समिति की पहली बैठक 31 अक्टूबर 2015 को आयोजित की गयी जिसमें प्राधिकरण द्वारा पूरे वर्ष में किए जाने वाले प्रयासों की एक रूपरेखा तैयार की गयी ।

- सड़क सुरक्षा सप्ताह (10-16 जनवरी, 2016) के दौरान परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा अन्य भागीदारों के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा पर अनेक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ।

3. प्राकृतिक आपदा प्रभाग

प्राधिकरण के प्राकृतिक आपदा प्रभाग के प्रमुख कार्यों का निरूपण बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (कृत्य एवं प्रबंधन) नियमावली 2012 में दिया गया है, जिसके अनुसार इस प्रभाग के प्रमुख कार्य निम्नवत है:-

- बिहार में परिसंकट तथा अपनी सुरक्षा लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करना ।
- पूर्व कार्रवाई करने के प्रति पणधारको (Stakeholders) को संवेदनशील बनाना ताकि परिसंकट का प्रभाव न्यूनतम किया जा सके ।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों और अस्पतालों/औषधालयों की सुरक्षा के प्रति ध्यान केन्द्रित करना ।
- नगर निगम, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों की भवन उपविधियों में उपांतरण पुनः स्थापित करना तथा उपविधियों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए सशक्त बनाना ।
- प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने के संबंध में जिला पंचायतों और ग्राम सभाओं को संवेदनशील बनाना तथा सशक्त करना एवं उनके आवासीय मकानों की सुरक्षा के लिए साधारण दिशा-निर्देश उपलब्ध कराना ।
- यह सुनिश्चित करना कि नये निर्माण की रूप-रेखा आपदा रोधी हों और अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए ।
- विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के अधीन विद्यमान विनिर्माणों मुख्यतः भवनों, पुलों, बांधों आदि की सुरक्षा का मूल्यांकन करना

तथा उनमें रेट्रोफिटिंग का तरीका विकसित करना ताकि भविष्य में संपूर्ण विध्वंस या गंभीर क्षति से सुरक्षा की जा सके।

- आपदा जोखिम में कमी सहित उपयुक्त आपदा प्रबंधन के लिए Mock Drills आयोजित करना।
- सभी प्राकृतिक परिसंकेतों के प्रभाव या शमन करने के लिए विभिन्न पणधारकों (Stakeholders) के क्षमता निर्माण में सहायता करना।
- एनडीओएमओए0 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को प्रसारित करना तथा उनके लिए कदम उठाना।
- जहाँ कहीं आवश्यक हो, शहरी स्थानीय निकायों की भवन उपविधियों में उपान्तरणों को पुनः स्थापित करना।

नियमावली के उपर्युक्त उपबंधों की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहते हुए इस प्रभाग द्वारा प्रमुख रूप से निम्न कार्यक्रमों/योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया -

- बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के संकल्प संख्या 125 दिनांक 13 जनवरी 2012 के अनुपालन में इस वर्ष भी बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में 15 से 21 जनवरी 2016 के मध्य भूकंप सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश भेजे गये। जिलों से इस सप्ताह में भूकंप सुरक्षा संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक रूप से कार्यक्रमों को आयोजित करने को कहा गया।
- जिला स्तरीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तर पर भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गये। 15 एवं 16 जनवरी 2015 को प्राधिकरण द्वारा दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य आरसीसी की बहुमंजिली इमारतों की भूकंपरोधी संरचना संबंधी जानकारी प्रदान करना था। बिहार के वे अभियंता एवं वास्तुविद जो इस विषय में रुचि रखते हैं या इन विषयों के प्रशिक्षक बनना चाहते हैं, mlUgkUs इस कार्यक्रम में भाग लिया।
- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पाँच महत्वपूर्ण विषयों

पर सलाहकार समितियों का गठन किया गया है जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अनुमोदन प्राप्त है। भूकंप संबंधी सलाहकार समिति की पहली बैठक का आयोजन 20 जनवरी 2015 को किया गया। Hkwdā l ykgdkj l fefr dh nll jh cBd fnukd 15-01-2016 dks vk; kftr dh x; hA इस बैठक में बिहार में भूकंप जोखिम न्यूनीकरण संबंधी कार्यक्रमों एवं नीतियों की कार्य योजना बनाने पर चर्चा हुई। देश के लब्धप्रतिष्ठ भूकंप विशेषज्ञों को इस सलाहकार समिति में शामिल किया गया है।

4. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग

- पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन से संबंधित उभरती विचारधाराओं एवं सुसंगत विषयों के प्रति जागरूकता लाना।
- बिहार की वर्तमान एवं भावी अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को रेखांकित करना।
- क्षमता वर्धन **Capacity Building** के लिए विभिन्न पणधारकों (Stakeholders) यथा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में सरकारी पदाधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना व संवेदनशील बनाना तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाईटी आदि में कार्मिकों को प्रशिक्षित करना इत्यादि है।
- बिहार में बार-बार होने वाली सुखाड़ की स्थितियों का विश्लेषण करना और अनुकूलन उपायों के लिए जलवायु परिवर्तन के रुझानों को ध्यान में रखते हुए उनके शमन के लिए संभावित उपायों की योजना बनाना।
- नेशनल मिशन के अंतर्गत बिहार राज्य में 'स्टेट क्लाइमेट चेंज सेंटर' में आपदा प्रबंधन के अवयव के विकास का प्रस्ताव तैयार करना इस प्रकार का प्रस्ताव।
- निरूपित प्रस्ताव को पर्यावरण एवं वन विभाग को भेजा गया, जिसे उनके स्तर से अनुशंसा के साथ केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है। जिसे उनके स्तर से अनुशंसा के साथ केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है।



- “ कोसी बेसिन में आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण एवं प्रतिरोधकमतापूर्ण आजीविका (Resilient livelihood) विषयान्तर्गत ICIMOD के संयुक्त सहयोग से एक “ नॉलेज फोरम” कार्यशाला का आयोजन बाभेती के सभागार में 4-5 फरवरी 2016 की अवधि में कराया गया।

इस कार्यशाला के दौरान प्रमाण आधारित ज्ञान और उसके कार्य अवयवों को निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की

x; hA

- कोसी बेसिन में बाढ़ एवं सुखाड़ संबंधित आपदा न्यूनीकरण एवं अतिसंवेदनशीलता।
- कोसी बेसिन में आपदा की चुनौती और अंतर्निहित शक्तियों को ज्ञान से नीति में परिवर्तित करना।
- प्रमाण आधारित ज्ञान को क्षेत्रीय सहयोग के जरिये किस तरह प्रभावकारी नीति में बदला जाय।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं क्षमता विकास पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम-सह-मॉकड्रिल



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 8वें प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं मॉक ड्रिल का आयोजन 2 जुलाई 2015 को किया गया। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बिहार प्रशासन की रीढ़ होते हैं। आपदा जोखिम में कमी और क्षमता निर्माण हेतु जागरूकता का बहुत बड़ा योगदान होता है। 12 सौ प्रशासनिक अधिकारियों में अब तक एक चौथाई अधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रशिक्षण किया गया है, जिससे कि किसी भी आपदा के समय वे तत्परता से राहत और बचाव कर सकेंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बिहार प्रशासनिक सेवा के करीब चालीस अधिकारी आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों से अवगत हुए। विभिन्न विभागों और संवर्गों से संबंधित अधिकारियों को भी प्रस्तुतियों और (Case studies) से किसी भी आपदा के दौरान उसे कैसे प्रबंधित किया जाये, इसका भी प्रशिक्षण दिया गया। एन0डी0आर0एफ कर्मियों द्वारा एक मॉक ड्रिल भी आयोजित किया गया, जिसमें आपदा के समय बचाव के रोमांचक प्रयास और अनुभवों से लोग परिचित हुए। इस दौरान एन0डी0आर0एफ के जवानों ने प्राथमिक चिकित्सा और रासायनिक खतरों की स्थिति में बचाव और राहत पर मॉक ड्रिल कर विस्तृत प्रकाश डाला।



बिहार दिवस 2016

सभी स्टॉल ने प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर बाढ़, भूकंप, चक्रवात, अग्निकांड व अन्य आपदाओं के प्रभाव को कम करने और उनके प्रति तैयार रहने के लिए विशेष मॉक-ड्रिल भी आयोजित किये गये। सुरक्षित भवन निर्माण के मॉडल, अपार्टमेंट सुरक्षा के लिए विशेष स्टॉल के जरिये वास्तुविद अभियंता और बिल्डरों को प्रोत्साहित किया गया।

बिहार दिवस के रूप में बिहार के 104वें स्थापना दिवस समारोह के आयोजन के उपलक्ष्य पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा गांधी मैदान में मुख्य समारोह स्थल पर एक विशाल पवेलियन स्थापित किया गया इसका मुख्य उद्देश्य आपदाओं के संबंध में जागरूकता और उसके न्यूनीकरण को लेकर किये जा रहे प्रयासों से जन-मानस को रूबरू करना था, जिससे आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके।

वर्ष 2016 में 22-23 मार्च को आयोजित बिहार दिवस समारोह में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने विभिन्न सहयोगियों के साथ अनकों स्टॉलों के

माध्यम से अपनी गतिविधियों एवं आपदा के विभिन्न आयामों/विषयों पर जनमानस विशेष कर बच्चों महिलाओं, छात्र-छात्राओं, अभियंताओं, वास्तुविदों इत्यादि को ध्यान में रखकर विभिन्न कार्यक्रम तैयार किये। इसके अंतर्गत एन0डी0आर0एफ, एस0डी0आर0एफ0, सिविल डिफेंस, रेडक्रास, ऑक्सफेम, बिहार राज्य अग्निशमन सेवा, एन0आई0टी0, बी0आई0टी0, पटना ट्रैफिक पुलिस, हैम रेडियों, यूनिसेफ, सेव द चिल्ड्रेन आदि के स्टॉल शामिल थे। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पवेलियन का उद्घाटन राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री, प्रो0 चन्द्रशेखर तथा समापन राज्यपाल श्री राम



नाथ कोविंद द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रो० चन्द्रशेखर ने बिहार दिवस पर प्राधिकरण के पैवेलियन के माध्यम से आपदाओं के प्रति की जा रही जागरूकता की सराहना की और पैवेलियन में स्थित विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण कर उनके कार्यों की जानकारी प्राप्त की।

सभी स्टॉल ने प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर बाढ़, भूकंप, चक्रवात, अग्निकांड व अन्य आपदाओं के प्रभाव को कम करने और उनके प्रति तैयार रहने के लिए विशेष मॉक-ड्रिल भी आयोजित किये गये। सुरक्षित भवन निर्माण के मॉडल एवं अपार्टमेंट सुरक्षा के लिए विशेष स्टॉल के जरिये वास्तुविदों अभियंताओं और बिल्डरों को प्रोत्साहित किया गया। भूकंप सुरक्षा केन्द्र में लाईफ साइज भवनों के मॉडलों द्वारा सुरक्षित निर्माण एवं सुदृढीकरण की जानकारी दी गयी। आपदा के समय पशु-संपदा की रक्षा पर भी लोगों को जागरूक किया गया। ट्रैफिक पार्क के जरिए लोगों में खासकर बच्चों में चेतना जागृत करने के लिए विशेष स्टॉल लगाये गए। आपदा पर पेंटिंग और विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। आपदा से बचाव पर आधारित

विभिन्न विषयों पर फिल्म प्रदर्शन के लिए फिल्म गैलरी भी बनायी गयी। सुरक्षित स्कूल बनाने के लिए अलग से प्रदर्शन की व्यवस्था की गई।

प्राथमिक चिकित्सा का आपदा के बाद बहुत बड़ा योगदान होता है जैसे आपदा के समय में हड्डियों के टूटने पर कैसे बैंडेज करें, हृदयघात के दौरान व्यक्ति को राहत कैसे पहुंचाए, सांप के काटने पर क्या करें। अग्नि आदि विषयों पर उचित जानकारियों के अनुभव में छोटी आपदाओं में भी गंभीर रूप ले सकती है। आपदा स्थल पर उपलब्ध सामग्री स्ट्रेचर कैसे बनाए इन सभी का विशेषज्ञों द्वारा प्रदर्शन किया गया जिसमें एन०डी०आर०एफ० और एस०डी०आर०एफ० के कर्मचारियों की भूमिका प्रमुख रही। आपदा के समय ब्लड बैंक की ओर से जागरूकता और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जलवायु परिवर्तन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए स्टॉल लगाये गये, जहां लोगों को विस्तृत जानकारी दी गयी। बड़े आयोजन के दौरान भीड़ प्रबंधन भी बहुत जरूरी होता है। इस वर्ष भी वरीय नागरिकों, महिलाओं, युवा और बच्चों को केन्द्रित कर आपदा-जोखिम न्यूनीकरण की अवधारणा को कार्य रूप देने का प्रयास किया गया।

अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण-सह-मॉक ड्रिल कार्यक्रम



14 से 20 अप्रैल 2015 तक चले अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तीसरे दिन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से अग्नि सुरक्षा के अंतर्गत 100 पंचायत मुखियाओं के लिए अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण सह मॉक-ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक दिवसीय अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण सह मॉक-ड्रिल कार्यक्रम का उद्घाटन अलग-अलग पंचायत/प्रखंड की महिला मुखियाओं द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि प्राधिकरण के नव मनोनीत सदस्य डॉ० उदय कांत मिश्र ने कहा कि हमारे यहां अक्सर मौत तैयारी के अभाव में होती है। 9वीं

बटालियन एन०डी०आर०एफ० के श्री विजय सिन्हा ने बताया कि एन०डी०आर०एफ० का गठन रिस्पांस फोर्स के तौर पर किया गया है जोकि आपदा में रिस्पांस के अतिरिक्त जन-जागरूकता का भी काम कर रही है। बिहार ग्राम स्वराज सोसाईटी के श्री ओम प्रकाश, राज्य परियोजना पदाधिकारी ने भी खेत, खलिहान और ग्रामीण क्षेत्रों में आग की घटनाओं के कारण और उससे कैसे करें बचाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आपदा के वक्त हम खुद प्रथम रिस्पाउंडर हों तो बाहरी की मदद में भी थोड़ी विलंब हो भी जाए तो नुकसान अधिक नहीं होगा।

कार्यक्रम में रेडक्रॉस की आपदा प्रबंधन समन्वयक वंदना सिंह ने भी रेडक्रॉस की भूमिका और ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की जानकारी दी।

कार्यक्रम में अधिक अगलगी वाले क्षेत्रों के मुखियाओं ने अपने अनुभव को लोगों के समक्ष रखा। एन०डी०आर०एफ० शरीर में आग लग जाने के बाद उसका प्रथम उपचार करने के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुखिया को अग्नि से सुरक्षा के लिए मॉक-ड्रिल के माध्यम से जागरूक किया गया।

बाढ़ एवं सुखाड़ के दौरान सतत कृषि कार्य पर कार्यशाला

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पूरे राज्य में चलाये जा रहे बाढ़ सुरक्षा सप्ताह (1-7 जून) के अंतर्गत 4 जून, 2015 को स्थानीय होटल मौर्या में बाढ़ एवं सुखाड़ के दौरान सतत कृषि कार्य विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य बिहार में प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ एवं सुखाड़ के प्रति लोगों को सचेत करना और विशेष रूप से कृषि संबंधी सावधानियों से लोगों को अवगत कराना था। बिहार में एक ही समय में कई जिले बाढ़ की चपेट में होते हैं, वही बहुत सारे जिले सूखे की मार झेल रहे होते हैं। ऐसे में एक समेकित जल प्रबंधन की आवश्यकता है। इस कार्यशाला में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष,

बिहार में एक ही समय में कई जिले बाढ़ की चपेट में होते हैं, वही बहुत सारे जिले सूखे की मार झेल रहे होते हैं। ऐसे में एक समेकित जल प्रबंधन की आवश्यकता है।

श्री अनिल कुमार सिन्हा के अतिरिक्त केन्द्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष, श्री विभाष कुमार, आई०आई०टी०, कानपुर के प्रो० राजीव सिन्हा, प्रो० संतोष कुमार, डॉ० ए०के० सिंह, डॉ० बी० के० सिन्हा, डॉ० पी०सी० चंदन, डॉ० दिनेश मिश्र, डॉ० सामन्त, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के डॉ० ए०के० सेन, FMISC के डॉ० सरोज वर्मा आदि ने अपने विचार व्यक्त किये।





नेपाल बिहार भूकम्प-2015

1934 के बाद से अब तक के भीषणतम भूकम्प का सामना बिहार राज्य के लोगों को अप्रैल-मई 2015 में करना पड़ा, जब 25-26 अप्रैल एवं 12 मई को आये अति तीव्रता के भूकम्प ने लोगों को झकझोर दिया। इस भीषण भूकम्प के बाद दहशत से लोगों ने कई रातें अपने घरों से बाहर खुले स्थानों या पार्कों में गुजारी।

दिनांक 25 अप्रैल को दिन में अपराह्न लगभग 11:40 पर रिक्टर पैमाने पर 7.9 परिमाण का भूकम्प आया जिसका केन्द्र काठमांडू (नेपाल) से लगभग 80 कि० मी० उत्तर पश्चिम में था। इसके अगले ही दिन, यानि 26 अप्रैल को 6.7 तीव्रता का भूकम्प पुनः आया और इसका भी केन्द्र नेपाल में ही था। इन दोनों भूकम्प की तीव्रता इतनी अधिक थी कि देश के अनेक राज्यों और विशेष कर बिहार में पूरे राज्य में इसके प्रभाव एवं तीव्र झटकों को महसूस किया गया। इन दोनों भूकम्प के कुछ दिनों बाद 12 मई को भी लगभग 7.4 की तीव्रता का भूकम्प पुनः आया और एक बार फिर इसे पूरे बिहार में महसूस किया गया। इन भूकम्पों से बिहार में लगभग 60 लोगों की जान गई, सैकड़ों घायल हुए और कुछ स्थानों पर सम्पत्तियों को भी नुकसान पहुँचा।

25 अप्रैल को शनिवार (अवकाश) का दिन होने के बावजूद भूकम्प आते ही प्राधिकरण की पूरी टीम सक्रिय हो गई। प्राधिकरण के पदाधिकारियों ने सर्वप्रथम सही सूचनाओं को एकत्र करना प्रारम्भ किया। इन सूचनाओं एवं जानकारीयों के आधार पर ही आगे की रणनीति तय किया जाना था। एकत्र सूचनाओं के साथ प्राधिकरण में एक आपात बैठक 26 अप्रैल (रविवार) को बुलाई गई जिसमें आगे की रणनीति तय की जानी थी। बैठक के दौरान ही 26 अप्रैल को भूकम्प के तेज झटके आये। कुछ देर रोकने के पश्चात् बैठक पुनः जारी रही। इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये:-

(1) आपदा प्रबंधन विभाग के साथ सामंजस्य

में तत्काल एक (24X7) आपातकालीन संचालन केन्द्र (EOC) प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया और साथ ही यह निर्णय लिया गया कि (EOC) में प्राप्त सूचनाओं/षिकायतों को संबंधित पदाधिकारियों/विभागों तक पहुँचाया जाये जिससे उनका निराकरण हो सके।

(2) चूँकि नेपाल सीमा से लगे जिलों में भूकम्प का प्रभाव अधिक होने की जानकारीयों प्राप्त हो रही थी, अतः यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की चार टीमों बनाकर महत्वपूर्ण बार्डर स्थलों के लिए रवाना की जायें और वहाँ की वस्तुस्थिति और चलाये जा रहे राहत कार्यों की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

आपातकालीन संचालन केन्द्र :-

बैठक में हुए निर्णय के अनुसार प्राधिकरण में तत्काल एक 24X7 आपातकालीन संचालन केन्द्र (EOC) स्थापित किया गया जो कि आपदा प्रबंधन विभाग के आपातकालीन संचालन केन्द्र के अतिरिक्त था। दोनों आपातकालीन संचालन केन्द्रों के नम्बर विज्ञापनों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित कराये गये। प्राधिकरण के आपातकालीन संचालन केन्द्र में प्राप्त शिकायतों/समस्याओं को दैनिक आधार पर संबंधित विभागों को अग्रेसर किया गया। इस प्रकार यह आपातकालीन संचालन केन्द्र प्राधिकरण में लगभग 1 माह तक संचालन किया गया।

प्राधिकरण की टीमों का प्रभावित क्षेत्रों

में भ्रमण:-

प्राधिकरण द्वारा नेपाल बार्डर के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में चार टीमों भेजने का फैसला लिया गया। इस प्रकार गठित चार टीमों ने निम्नलिखित क्षेत्रों का दौरा किया:-
जोगबनी - बार्डर (फॉरबिसगंज, अररिया)
रक्सौल - बार्डर (पूर्वी चम्पारण)
जयनगर - बार्डर (मधुबनी)
बरगैनिया - (सीतामढ़ी)
इन सभी क्षेत्रों में प्राधिकरण के दो-दो वरीय पदाधिकारियों को भेजा गया।

इन टीमों के भ्रमण का उद्देश्य था-

- इन क्षेत्रों में भूकम्प प्रभावित लोगों से मिलकर भूकम्प के पश्चात् किसी प्रकार के व्यवहार परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करना।
- भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में समुदाय एवं अन्य भागीदारों से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों की जानकारी प्राप्त करना।
- बार्डर क्षेत्रों में राहत शिविरों में जाकर वहाँ की समस्याओं आदि की जानकारी प्राप्त करना।
- इन क्षेत्रों में चलाये जा रहे भूकम्प राहत कार्यों का आकलन करना।
- भूकम्प से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएँ, चित्र, वीडियो आदि संग्रहीत करना।
- कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना।



बिहार के सरकारी/गैर-सरकारी अभियन्ताओं एवं वास्तुविदों के लिये, पाँच दिवसीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी कार्यशाला

यह प्रशिक्षण का प्रथम चरण था और इसमें बिहार के इच्छुक सरकारी/गैर-सरकारी अभियन्ताओं एवं वास्तुविदों के लिये, पाँच दिवसीय (27-31 मई, 2015), प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विषयों पर अलग-अलग उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया गया।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सरकारी/गैर-सरकारी अभियन्ताओं एवं वास्तुविदों के लिए पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन 27 से 31 मई 2015 तक किया गया। इस संबंध में पूर्व में दिनांक 20 जनवरी, 2015 को पटना में भूकम्प सलाहकार समिति की प्रथम बैठक में विशेषज्ञों द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि बिहार में समर्पित एवं प्रशिक्षित अभियन्ताओं/वास्तुविदों की टीम की पहचान की जाय, उन्हें प्रशिक्षित किया जाय, उनका मूल्यांकन किया जाय और उन्हें भवनों के भूकम्परोधी निर्माण एवं रेट्रोफिटिंग हेतु प्रशिक्षक के रूप में चयन किया जाय। चयनित प्रशिक्षित टीम के सदस्यों का कुछ प्रशिक्षण अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद, उन्हें मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाय।

इस प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन उपाध्यक्ष श्री अनिल कुमार सिन्हा द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्राधिकरण के अन्य सदस्यगण प्रो0 ए0 एस0 आर्य तथा डॉ0 उदयकान्त मिश्र, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव श्री व्यास जी एवं भवन निर्माण विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती अंशुलि आर्य उपस्थित थे।

इस प्रशिक्षण के उपरांत इन प्रशिक्षकों को बिपार्ड द्वारा कराये जा रहे अभियन्ताओं/वास्तुविदों/संवेदकों/राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण में तथा प्राधिकरण अथवा सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित कतिपय कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये, आमंत्रित किया जा सकेगा। किसी सम्भावित भूकम्प आपदा के घटित होने के बाद, क्षतिग्रस्त संरचनाओं के मूल्यांकन में भी इन

प्रशिक्षित पेशेवरों की सेवा ली जा सकती है।

यह प्रशिक्षण का प्रथम चरण था और इसमें बिहार के इच्छुक सरकारी/गैर-सरकारी अभियन्ताओं एवं वास्तुविदों के लिये, पाँच दिवसीय (27-31 मई, 2015), प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विषयों पर अलग-अलग उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन 31 मई, 2015 को हुआ। पाँच दिवसीय प्रशिक्षण एवं विभिन्न विषयों में मूल्यांकन के उपरांत सभी प्रतिभागियों (लगभग 45) को सहभागिता प्रमाण-पत्र प्रदान किये गए। साथ ही मूल्यांकन के पश्चात् प्रशिक्षक के रूप में सफल घोषित हुए लगभग 30 प्रतिभागियों को विशिष्ट प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।



मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

बच्चों के सुरक्षा के मद्देनजर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के संयुक्त तत्वावधान में वर्ष 2015 में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों एवं शिक्षकों को विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में मॉकड्रिल आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी सहयोग लिया गया। विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के समेकित प्रतिवेदनों के आधार पर राज्य के 67,000 सरकारी एवं 50,000 निजी विद्यालयों में मॉकड्रिल आयोजित किये गये।

बिहार राज्य में सरकार के स्तर से आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (वर्ष 2015-2030) विकसित किया है, जिसमें विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को प्रमुखता से समाहित किया गया है। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 7 वीं बैठक (दिनांक 24.05.2013) में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम पूरे राज्य में संचालित करने का निर्णय लिया गया। इसी कारण इस कार्यक्रम का नामकरण मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम रखा गया है। उक्त कार्यक्रम के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि विद्यालयों एवं बच्चों को सुरक्षित किया जाय एवं विभिन्न आपदाओं से होनेवाली क्षति को कम करने के प्रति जागरूक किया जाय ताकि अगली पीढ़ी का बेहतर निर्माण किया जा सके। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के संयुक्त तत्वावधान में वर्ष 2015 में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों एवं शिक्षकों के लिए विभिन्न

आपदाओं के संदर्भ में मॉकड्रिल आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी सहयोग लिया गया। विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के समेकित प्रतिवेदनों के आधार पर राज्य के 67,000 सरकारी एवं 50,000 निजी विद्यालयों में मॉकड्रिल आयोजित किये गये। इस कार्यक्रम में लगभग 02 करोड़ छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। 1.51 लाख नोडल शिक्षकों को चयनित कर मॉकड्रिल आयोजित करने का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत 6 लाख विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों को भी शामिल किया गया। प्रचार-प्रसार सामग्री के रूप में (मॉकड्रिल से संबंधित) ब्रोशर (Brochure) की 50 लाख प्रतियां विद्यालयों में वितरित की गईं। राज्य स्तर पर 400 शिक्षकों को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में तैयार किया गया। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में 01-15 जुलाई तक विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा मनाया गया जिसमें सभी विद्यालयों में बाढ़, भूकंप एवं आगजनी से संबंधित आपदाओं से बचाव के

बावत प्रशिक्षण तथा उसके अभ्यास के रूप में मॉकड्रिल आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम के उपरान्त निम्नलिखित उपलब्धियां रहीं-

- बच्चों में आपदा पूर्व तैयारी करने की संस्कृति विकसित हुई।
- विद्यालयों के शिक्षक एवं बच्चे अपनी सुरक्षा के प्रति संवेदनशील हुए।
- विद्यालय सुरक्षा विषय से संबंधी मास्टर प्रशिक्षण तैयार किये गये।
- बच्चों को जागरूक करने हेतु आई0ई0सी0 सामग्रियों विकसित किये गये।
- मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत संपादित किये गये कार्यों के अनुसार विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बुनियादी कार्य एवं बच्चों की सुरक्षा के प्रति अभिभावकों, शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों को भी कुछ हद तक जागरूक करने की दिशा में सकारात्मक पहल हुए है।



नगरीय आपदा प्रबंधन योजना हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक

38 जिलों का जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाना इस दिशा में अति महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से जिला प्रशासन को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने की एक सुनिश्चित दिशा तथा कार्य योजना प्राप्त होगी। साथ ही जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सुदृढ़ होगा।

शहरों में बढ़ते आपदा के खतरों एवं प्रभावों के मद्देनजर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नगरीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के संबंध में एक बैठक का आयोजन दिनांक 19.06.2015 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सभागार में किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों एवं गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नगरीय विकास में आपदा जोखिम की अनदेखी से उसके बढ़ते कुप्रभावों एवं नगरों में ज्यादा होने वाली आपदाओं के प्रति तैयारी एवं उनके बचाव की रणनीति बनाने के संबंध में बैठक में चर्चा की गयी। पटना एवं बिहार के अन्य बड़े शहर सभी प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव जनित

आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं। नगरीय आपदा के प्रबंधन के लिए पूरे नगरीय प्रशासन को समन्वय में काम करने की आवश्यकता है। शहरों में भूकंप से होने वाली क्षति पर प्रकाश डालते हुए प्राधिकरण के सदस्य प्रो० ए० एस० आर्य ने बहुमंजिली इमारतों के निर्माण में ली जाने वाली सावधानियों एवं नियमों के पालन पर प्रकाश डाला। बैठक में नगर विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, यूनिसेफ, सेव द चिल्ड्रेन, कैरिटॉस आदि के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और नगरीय आपदा प्रबंधन के विषय में अपने विचार व्यक्त किये।



जिला आपदा प्रबंधन योजना पर “समीक्षात्मक कार्यशाला”

38 जिलों का जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाना इस दिशा में अति महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से जिला प्रशासन को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने की एक सुनिश्चित दिशा तथा कार्य योजना प्राप्त होगी। साथ ही जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सुदृढ़ होगा।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 6-7 जनवरी, 2016 को जिला आपदा प्रबंधन योजना की परामर्शी एवं समीक्षात्मक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपदा प्रबंधन नियमावली 2005 के सेक्शन 31(1) के आलोक में बिहार के 38 जिलों में बहु-आपदा जिला प्रबंधन योजना को तैयार करने का कार्य बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व में 9 विभिन्न एजेन्सियों के द्वारा प्रारंभ किया गया।

इसी संबंध में सभी एजेन्सियों द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक रिपोर्ट की प्रस्तुति से संबंधित दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के माननीय मंत्री प्रो० चन्द्रशेखर द्वारा किया गया। उद्घाटन संबोधन में माननीय मंत्री ने कहा कि बिहार राज्य बहु-आपदा प्रवण राज्य है। ऐसी विषम परिस्थिति में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यह दायित्व बनता है कि राज्य के 10.50 करोड़ जन-मानस को बहु-आपदा से संरक्षण प्रदान करें। बिहार के 38 जिलों का जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाना इस दिशा में अति महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना से जिला प्रशासन

को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने की एक सुनिश्चित दिशा तथा कार्य योजना प्राप्त होगी। साथ ही जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सुदृढ़ होगा। इस योजना का सबसे उत्तम पहलू यह है कि जिला प्रशासन के सभी line departments को आपदा के पूर्व दौरान और बाद की स्थिति में, किये जाने वाले कार्यों में अपने roles and responsibilities में अच्छी तरह से ज्ञात होगी।

इसके पूर्व श्री पी० एन० राय, महानिदेशक (अग्निशाम सेवा) एवं महासमादेष्टा (गृह सुरक्षा वाहिनी) ने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन योजना में व्यवहारिक योजनाएं बननी चाहिए। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ लॉय रेगो, एन०डी०एम०ए० के सदस्य श्री कमल किशोर, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन के आप्त सचिव श्री कृष्णानंद यादव, एन०डी०एम०ए० के पूर्व सदस्य प्रो० एन० वी० सी० मेनन, प्रो० प्रधान पार्थसारथी, यू०एन०डी०पी० की आभा मिश्रा आदि उपस्थित थे।



कोशी-बेसिन क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर दो दिवसीय नॉलेज फोरम

विशिष्ट अतिथि जल संसाधन तथा योजना एवं विकास विभाग, श्री राजीव रंजन सिंह ने अपने संदेश में कहा कि आज के वर्तमान परिवेश में इस कार्यशाला की विषय वस्तु काफी उपयुक्त एवं चुनौतीपूर्ण मद्दों पर आधारित है। बिहार प्रदेश को जहां प्रतिवर्ष एक तरफ बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ती है तो दूसरी ओर सुखाड़ का सामना करना पड़ता है।

काठमांडू स्थित International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) तथा Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Govt. of Australia ने संयुक्त रूप से कोशी बेसिन में उपरोक्त विषय पर गहन कार्य 2013 में प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास, जल विद्युत उत्पन्न, किये जाने का प्रयास तथा समुदाय द्वारा उपलब्ध साधनों के समुचित उपयोग की प्रणाली का विकास भी शामिल है।

इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र

में कार्य कर रहे सभी प्रमुख सहभागियों यथा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) ए० एन० सिन्हा, इंस्टीट्यूट पटना, आई०आई०टी०, कानपुर, द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ (IEG), नई दिल्ली तथा नेपाल एवं चीन की संस्थाओं के सहयोग से चुनौतियों को अवसर में बदलने के प्रयोजन से पटना के बामेती परिसर में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 4-5 फरवरी 2016 को किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन आपदा प्रबंधन मंत्री, प्रो० चन्द्रशेखर



ने किया। अन्य विशिष्ट अतिथियों में वाणिज्य कर मंत्री, बिहार सरकार श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, जल संसाधन तथा योजना एवं विकास मंत्री बिहार सरकार श्री राजीव रंजन सिंह, लो कुआन ये स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के प्रो० असित के० बिस्वास, एन०डी०एम०ए० के सदस्य श्री कमल किशोर, एन०आई०डी०एम० के अधिशासी निदेशक प्रो० संतोष कुमार, महानिदेशक अग्निशाम सेवा एवं होमगार्ड, श्री पी०एन० राय, ICIMOD के डॉ० एकलव्य शर्मा, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री अनिल कुमार सिन्हा एवं सदस्य डॉ० उदयकांत मिश्र आदि उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में वाणिज्य कर मंत्री, बिहार सरकार, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि कोशी के इतिहास में यह पहली बार है कि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे अधिक तबाही मचाने वाली एवं सबसे खतरनाक नदियों में चीन की नदी व्हांग हो तथा भारत की

कोशी नदी को कहा जाता है। कोशी बेसिन क्षेत्र की समस्या को समझने और उसका समाधान निकालने के लिए पहले हमें कोशी की स्थिति, प्रकृति एवं व्यवहार को समझना आवश्यक है क्योंकि कोशी की बाढ़ किसी आम बाढ़ की तरह नहीं होती है। कोशी की बाढ़ से इस क्षेत्र का पूरा भूगोल ही बदल जाता है। विशिष्ट अतिथि जल संसाधन तथा योजना एवं विकास विभाग, श्री राजीव रंजन सिंह ने अपने संदेश में कहा कि आज के वर्तमान परिवेश में इस कार्यशाला की विषय वस्तु काफी उपयुक्त एवं चुनौतीपूर्ण मद्दों पर आधारित है। बिहार प्रदेश को जहां प्रतिवर्ष एक तरफ बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ती है तो दूसरी ओर सुखाड़ का सामना करना पड़ता है। जहां तक कोशी नदी का प्रश्न है उत्तरी बिहार के अधिकांश जिलों को कोशी नदी की बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ता है और ऐसी परिस्थिति में इस कार्यशाला का महत्व और भी बढ़ जाता है।



वर्ष 2015-16 के दौरान प्राधिकरण की सलाहकार समितियों की बैठक

आपदाओं की बढ़ती संख्या एवं तीव्रता इसका प्रमाण है। इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए और प्राधिकरण को दिशा प्रदान करने हेतु विशेषज्ञों ने अनेक सुझाव दिये। सलाहकार समिति की इस बैठक में मुख्य रूप से डा० मोहम्मद युनुस, प्रो० एम० एस० नहावत, डा० अनिल कुमार गुप्ता, डा० अशोक घोष, डा० शिराज वाजीह, डा० जे० एस० पाण्ड्या, डा० प्रधान पार्थ सारथी एवं डा० हर्षिकेश मनु आदि ने भाग लिया।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 2014 में विभिन्न विषयों पर पाँच सलाहकार समितियों गठित की गयीं। ये विषय हैं- बाढ़ एवं सुखाड़, मानव जनित आपदा, भूकम्प, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा मानव संसाधन विकास, क्षमताबर्द्धन एवं प्रशिक्षण। इन सलाहकार समितियों में केवल भूकम्प सुरक्षा पर बनी सलाहकार समिति की पहली बैठक 2014-15 में हो पायी थी। शेष सभी सलाहकार समितियों की पहली बैठक एवं भूकम्प सुरक्षा सलाहकार समिति की दूसरी बैठक का आयोजन वर्ष 2015-16 में किया गया। इन सलाहकार समितियों के सदस्य के रूप में देश के अनेक ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों ने अगले एक वर्ष के लिए प्राधिकरण की योजनाओं के संबंध में अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

वर्ष 2015-16 में सर्वप्रथम 16 जून 2015 को बाढ़ एवं सुखाड़ संबंधी सलाहकार समिति

की पहली बैठक पटना में आयोजित की गयी। इस बैठक में अनेक विशेषज्ञों द्वारा बाढ़ एवं सुखाड़ सहित जल प्रबंधन के अनेक पहलुओं पर विचार किया गया और बिहार के संदर्भ में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये। इस बैठक में मुख्य रूप से श्री गजानन मिश्र, प्रो० राजीव सिन्हा, प्रो० एस० के० टण्डन, प्रो० जी० के० मोहापात्रा, डा० विशाल कुमार, डा० बी० के० सिन्हा, डा० भानू, डा० विक्रान्त जैन, डा० एस० समान्ते, डा० ए० के० सेन, डा० अतुल आदित्य पाण्डे, डा० के० जे० आनन्द कुमार, श्री कमल किशोर (सदस्य), एम०डी०एम०ए० आदि ने बिहार में जल प्रबंधन संबंधी अपने सुझाव दिये।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर प्राधिकरण की सलाहकार समिति की पहली बैठक पटना में दिनांक 16 अक्टूबर, 2015 को आयोजित की गयी। पिछले कुछ दशकों में भारत सहित पूरे विश्व के पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन का असर देखने को



मिल रहा है। बिहार भी इसके प्रभाव से भी नहीं बच सकता। आपदाओं की बढ़ती संख्या एवं तीव्रता इसका प्रमाण है। इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए और प्राधिकरण को दिशा प्रदान करने हेतु विशेषज्ञों ने अनेक सुझाव दिये। सलाहकार समिति की इस बैठक में मुख्य रूप से डा० मोहम्मद युनुस, प्रो० एम० एस० नहावत, डा० अनिल कुमार गुप्ता, डा० अशोक घोष, डा० शिराज वाजीह, डा० जे० एस० पाण्डया, डा० प्रधान पार्थ सारथी एवं डा० हृषिकेश मनु आदि ने भाग लिया।

प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ बिहार अनेक मानव जनित आपदाओं का भी शिकार रहा है। मानव जनित आपदाओं में हताहतों की संख्या प्राकृतिक आपदाओं से प्रायः अधिक होती है। ऐसे में मानव जनित आपदाओं को रोकने हेतु एक निश्चित रणनीति बनाना आवश्यक हो जाता है। इन्हीं विषयों पर विशेषज्ञों की राय जानने के लिए मानव जनित आपदा की सलाहकार समिति की पहली बैठक 31 अक्टूबर 2015 को पटना में आयोजित की गयी। इस बैठक में अनेक विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किये जिसमें प्रमुख रूप से मेजर जनरल बी० के० नायक, श्री बी०बी० सन्त, डा० माधुरी शैरोन, डा० डी० एम० दिवाकर, डा० राकेश दूबे, डा० विजय शील गौतम, डा० ए० के० सिन्हा, डा० आर० के० दूबे, श्री आर० सी० शर्मा, श्री पी० एप० राय, श्री हरीश वाला सुब्रमनी, डा० डी० के० गुप्ता और श्री विजय सिन्हा आदि प्रमुख रूप से शामिल थे।

मानव संसाधन विकास, क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एक प्रमुख प्रभाग है जो राज्य की हर प्रकार की आपदा से निपटने के लिए सभी भागीदारों

(Stakeholders) के क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में काम करता है। इस विषय पर गठित प्राधिकरण की सलाहकार समिति की पहली बैठक 07 नवंबर, 2015 को पटना में आयोजित की गयी। इस बैठक में राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण पर विशेषज्ञों ने अपनी राय दी। बैठक में प्रमुख रूप से प्रो० विनोद मेनन, श्री एम० राजा राम, श्री लॉय रेगो, डा० हेमन्त कुमार विनायक, डा० एस० पी० सिंह, श्री मिहिर भट्ट, श्री एन० एम० पुस्ती, डा० राजन सिन्हा, श्री अंजन बाग, श्री प्रविन्द प्रवीन, श्री सत्य स्वरूप, श्री बंकु बिहारी सरकार, सुश्री वंदना चौहान, श्री बाबुल प्रसाद, श्री अजय कुमार, श्री मुकुल कुमार, श्री खगेश चन्द्र झा आदि शामिल थे।

बिहार राज्य भूकंप के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है। राज्य के 8 जिले भूकंप के जोन V, 24 जिले जोन IV और 6 जिले जोन III में आते हैं। भूकंप सुरक्षा सलाहकार समिति की पहली बैठक गत वर्ष जनवरी 2015 में संपन्न हुई थी और इस वर्ष 15 जनवरी 2016 को भूकंप सुरक्षा सलाहकार समिति की दूसरी बैठक सम्पन्न हुई।

इस बैठक में भूकंप से बचाव हेतु रणनीति बनाने के संबंध में आये हुए विशेषज्ञों ने अपनी राय दी। सलाहकार समिति की इस बैठक में शामिल होने वाले में डॉ० मुजफ्फर अहमद, प्रो० वी०के० शर्मा, श्री बी०के० रस्तोगी, प्रो० जमाल हुसैन अंसारी, प्रो० प्रतिमा रानी बोस, श्री हरि कुमार, डॉ० ए० के० शुक्ल, श्री विपिन राय, प्रो० चंदन घोष, श्री अखौरी विश्वप्रिय, सुश्री आभा मिश्रा और प्रो० ए०के० सिन्हा आदि प्रमुख थे।



India Disaster Resource Network (IDRN) पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली ने संयुक्त रूप से IDRN पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 28 जुलाई 2015 को किया। दो दिवसीय प्रशिक्षण के पहले दिन कार्यक्रम की शुरुआत में पूर्व राष्ट्रपति डॉ० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम को दो मिनट मौन रख कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अपने उद्घाटन संबोधन में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने कहा कि सभी आपदा स्थानीय होती हैं जिसमें कि स्थानीय प्रशासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्थानीय प्रशासन की भूमिका आपदा के वक्त फ़र्स्ट रैस्पोंडर की होती है। इसलिए क्षमता का विकास होना अतिआवश्यक हो जाता है। आईडीआरएन के तहत संसाधनों की मैपिंग श्रृंखलाबद्ध रूप से किया जाना आवश्यक है।

NIDM से आयी प्रशिक्षण अनुपमा से (Administrator, IDRN) ने इसके बारे में बताते हुए कहा कि यह एक ऐसी सुविधा है जिसके तहत हम किसी भी राज्य एवं जिले में उपलब्ध संसाधनों के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे किसी भी आपदा के समय राज्य एवं जिले के संसाधनों को तुरंत उपयोग में ला सकते हैं। IDRN को सफल बनाने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन को एकजुट हो कर IDRN के तहत संसाधनों का प्रबंधन सिलसिलेवार रूप से करना होगा। इस अवसर राज्य के 19 जिलों के सूचना पदाधिकारी, वरीय उपसमाहर्ता, NIC के श्री राजेश कुमार सिंह, ए० एस० आइ० ओ० श्रीमती नंदा सिंह के अलावा प्राधिकरण के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे।



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 8वाँ स्थापना दिवस

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 8वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन 19 दिसंबर, 2016 को अधिवेशन भवन में किया गया। स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन आपदा प्रबंधन मंत्री, प्रो० चन्द्रशेखर ने किया। इस अवसर पर अन्य विशिष्ट लोगों में मुख्य रूप से प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, श्री अनिल कुमार सिन्हा, सदस्य, प्रो० ए०एस० आर्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, श्री कमल किशोर, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव, श्री व्यास जी, महानिदेशक (अग्निशाम सेवा एवं गृह रक्षावाहिनी) श्री

पी०एन० राय, राष्ट्रीय सेवा योजना पटना विश्व विद्यालय के संयोजक डॉ० अतुल आदित्य पाण्डेय, एन०डी०आर०एफ० कमांडेंट, श्री विजय सिन्हा, एस०डी०आर०एफ० कमांडेंट, श्री विनोद कुमार, सशस्त्र सीमा बल के डी०आई०जी०, संजय कुमार आदि उपस्थित थे।

प्राधिकरण के स्थापना दिवस का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के स्वयंसेवकों के साथ किया गया। NSS स्वयंसेवकों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में आगे आने का आह्वान किया गया।



हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 2015 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

प्रत्येक वर्ष की भांति वर्ष 2015 में भी हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का आयोजन पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मेले में प्राधिकरण द्वारा स्थापित किया जागरूकता हेतु स्टॉल स्थापित किया गया।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्टॉल के माध्यम से इस वर्ष निम्नलिखित विषयों पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया

1. भीड़ प्रबंधन - हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में प्रतिदिन लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। हाल के दिनों में बोधगया मंदिर में बम ब्लास्ट, पटना में हुंकार रैली के दौरान हुए बम ब्लास्ट एवं देश के अन्य शहरों में हुए आतंकी हमलों के मद्देनजर तथा पटना के

अदालतगंज घाट पर छठ पूजा के दौरान हुई भगदड़, दशहरा के दौरान गांधी मैदान में हुई भगदड़ के कारण हुए अपूर्णीय क्षति से सीख लेते हुए, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा भीड़ नियंत्रण का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।



2. पशु सुरक्षा पर प्रदर्शनी - किसी भी आपदा के समय पशुओं की सुरक्षा, खोज और बचाव, प्राथमिक चिकित्सा पर आम जन-मानस की कम जानकारी होती है। अतः बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन (WAP) के सहयोग से प्रदर्शनी लगा कर इन आयामों पर आम जन-मानस के बीच जागरूकता उत्पन्न की गई तथा आपदा के समय पशुओं की महत्वता को दर्शाया गया।

3. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्टॉल से विभिन्न प्रकार के आपदा यथा बाढ़, भूकंप आदि के दौरान इस्तेमाल किये जाने वाले Equipments की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही NDRF द्वारा बाढ़ से बचाव हेतु मॉक ड्रिल किया गया जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया।

अनुलग्नक : 1

क्र०	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल
1	2	3	4
1	mik/; {k %e#h Lrj½ l nL; 07 %j kT; e#h Lrj	8 bl in e#s, d mik/; {k	3
2	सचिव/विशेष सचिव	1	1
3	अपर सचिव	1	0
4	संयुक्त सचिव	1	0
5	माननीय उपाध्यक्ष के विशेष कार्य पदाधिकारी	1	1
6	वरीय सलाहकार (तकनीकी)	1	1
7	सलाहकार (तकनीकी)	1	0
8	वरीय सलाहकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	1	1
9	वरीय सलाहकार, प्राकृतिक आपदा	1	1
10	वरीय सलाहकार, मानव संसाधन क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण	1	1
11	वरीय सलाहकार, मानव जनित आपदा	1	0
12	वरीय सम्पादक/सम्पादक	1	1
13	परियोजना पदाधिकारी, प्राकृतिक आपदा	1	1
14	परियोजना पदाधिकारी, मानव जनित आपदा	1	1
15	परियोजना पदाधिकारी, मानव संसाधन क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण	1	1
16	परियोजना पदाधिकारी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	1	1
17	वित्तीय सलाहकार	1	1
18	लेखा पदाधिकारी	1	1
19	वरीय शोध पदाधिकारी	5	0
20	वरीय तकनीकी सहायक/तकनीकी सहायक	4	2
21	सहायक सम्पादक	1	0
22	जन सम्पर्क पदाधिकारी	1	0
23	परियोजना सहायक/अनुसंधान सहायक	4	0
24	उप सचिव	1	0
25	अवर सचिव	2	1
26	प्रशाखा पदाधिकारी	3	2
27	सहायक	6	3
28	निजी सहायक	10	1
29	रोकड़पाल	2	1
30	उच्च वर्गीय लिपिक	2	0
31	निम्न वर्गीय लिपिक	3	1
32	चालक	8	5
33	आदेशपाल/कार्यालय परिचारी/अनुसेवक	13	6
34	सफाई कर्मी	1	1
35	गाई	5	0

Bihar State Disaster Management Authority

2nd, Floor, Pant Bhawan, Bailey Road, Patna- 800001
Receipts & Payments Accounts for the year ended 31 st March 2016

Receipts	For the year ended 31-3-2016	Payments	For the year ended 31-3-2016
Opening Balance		Commercial & Special Services	1,25,88,539.00
Cash in Hand	39,694.00	Electricity Expenses	5,40,890.00
Cash at Bank	41,59,180.00	Medical Reimbursement	1,57,079.00
Loans & Advances	71,901.00	Office Expenses	74,77,387.50
		Printing & Publication	30,12,002.00
		Prize	1,21,000.00
		Rent Rates & Taxes	4,77,823.00
		Salary	1,64,82,228.00
		Telephone Expenses	4,38,653.00
		Travelling Allowance	7,80,139.00
		Vechile Fuel & Maintenance	5,06,883.00
Funds Received		Fixed Assets	8,61,943.00
From Government of Bihar	4,24,90,000.00		
Miscellaneous Income			
Bank Interest	6,08,521.00		
Other Income (Sale of Scrap, Old Battery)	7,000.00	Closing Balance	
		Cash in Hand	37,226.00
		Cash in Bank	38,24,503.00
		Loans & Advances	70,000.00
	4,73,76,296.00		4,73,76,296.00

Contact Details of BSDMA Officers & Employees

Sr. NO.	Name	Designation	Telephone No.	Mobile No.	Residence No.	E-mail
1	Shri Anil K. Sinha, IAS (Rtd.)	Vice Chairman	0612-252203 Fax- 2532311	9473400208		vice_chair@bsdma.org
2	Dr. A. S. Arya	Member		9818997029		asarun3155@gmail.com
3	Dr. U.K. Misra	Member		9910688228		mkuday@bsdma.org
4	Shri Naresh Paswan, BAS	Secretary		0612-2532311	9931460575	naresh_paswan@bsdma.org
5	Shri Anil Sinha, BAS(Rtd.)	O S D to VC		9431859650		anilsinha53@bsdma.org
6	Shri Shatrughan Singh	Financial Advisor		9334206929	9934466442	ssingh.5191@gmail.com
7	Shri Anil Kr. Jha	Under Secy.		933441081		
8	Shri Barun K. Mishra	Sr. Advisor (Tech.)		9431011010	2350069	samolji@gmail.com
9	Shri R. K. Naraen	P S to VC		9334390988		rajeshnaraen@yahoo.com
10	Shri Anuj Tiwari	Sr. Advisor		7763970778		anujtiwari@bsdma.org
11	Shri Shanker Dayal	Sr. Advisor		9955513835	8809897353	shankardayal@bsdma.org
12	Ajit Kr. Samaiyar	Sr. Advisor (Env & CCA)			9431453768	ajitsamaiyar@bsdma.org
13	Mrs. Monisha Dubey	Sr. Editor		7543030899		monishadubey@bsdma.org
14	Dr. Madhubala	P. O.		9431480431		madhubsdma@gmail.com
15	Shri Anand Bijeta	P.O.		9334409588		anandvijeta@bsdma.org
16	Shri Vishal Vasvani	P.O.		9334984394		vishal.vasvani@gmail.com
17	Shri Asif Shahab	P. O.		9798458162		asifshahab@bsdma.org
18	Shri Manikant Singh	PA to VC		8986002139		manikant@bsdma.org
19	Shri Ramesh Chandra Jha	PA to VC		9955456126		rameshjha0906@gmail.com
20	Sumbul Afroz	Sr. Tech. Assistant		8538942266		sumbulafroz@bsdma.org
21	Shri Manoj Kumar	Tech. Assistant		9334312098		manoj@bsdma.org
22	Shri Vikas Kumar	Accounts Officer		9931116336		vikashdadaca@gmail.com

RAM SHANKAR & ASSOCIATES

Chartered Accountants



Audit Report

F.Y. - 2015-16

Ram Shankar & Associates

Chartered Accountants



AUDITORS REPORT

We have audited the annexed Balance Sheet of "Bihar State Disaster Management Authority (Govt. Of Bihar)" of 2nd Floor Pant Bhawan, PATNA as at 31.03.2016 and the Income & Expenditure for the year ended on that date. These Financial Statements are responsibility of the management and our responsibility is to express opinion on this financial statement.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India.

These standards require that we plan and perform to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material statement.

We report thereon as follows:-

- A) We have obtained all information and explanations which to the best of our knowledge and believe were necessary for the purpose of our audit.
- B) In our opinion proper books of accounts have been maintained by the organization so far as it appears from the examination of those books.
- C) The Balance Sheet and Income & Expenditure are in conformity with the books of Accounts.
- D) In our opinion and to the best our information and according to explanation given to us, the said statement gives a true and fair view:-
 - a) In the case Balance sheet of the State of affairs as at 31st March 2016.
 - b) In the case Income & Expenditure Accounts for the year ended on that date.

Place: Patna

Date: 14th Sept., 2016



For Ram Shankar & Associates
Chartered Accountant

(RAM SHANKAR)
Managing Partner
Membership No. 421258

Office: Krishna Bhawan Compound, Behind Hotel Rajasthan, Frazer Road, Patna - 800 001
Contact :- +919304999496, Whatsapp :- +919504831389, Facebook : caram.shankar
Email: ca_ramshankar@live.com

90

**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES ON ACCOUNTS FOR THE YEAR
ENDED 31ST MARCH 2016**

SCHEDULE A

A. Significant Accounting Policies

1. BASIS OF ACCOUNTING

The Organisation prepares its accounts on payment basis in accordance with generally accepted Accounting policies.

2. FIXED ASSETS


Fixed Assets are valued at cost which includes all related expenses incidental to acquisition and installation.

Place: Patna

Date: 14th Sept. 2016



For Ram Shankar & Associates
Chartered Accountant


(RAM SHANKAR)
Managing Partner
Membership No. 421258

NOTES ON ACCOUNTS

1. Contingent liabilities Rs. NIL.
2. Schedule A contains Notes to Accounts.
3. In the financial Statement, fund received from Govt. of Bihar in the form of Grants-in-Aid Salary & Grants-in-Aid other than salary only has been accounted for. Other funds & their related expenses have not been included in the Financial Statement.
4. In Bank Reconciliation Statement, unspent balance of funds from other than Grants-in-Aid Salary & Grants-in-Aid other than salary have not been taken i.e. they are deducted from the Bank balance shown by the Bank Statement .
5. A statement showing Expenses and Unspent Balance or Cheque issued but not cleared till 31.03.2016 related to other funds has been attached along with Bank Reconciliation Statement.



Place: Patna

Date: 14th Sept., 2016For Ram Shankar & Associates
Chartered Accountant
(RAM SHANKAR)
Managing Partner

Membership No. 421258


Bihar State Disaster Management Authority (Gov. Of Bihar)					
2nd Floor Pant Bhawan, Bailey Road					
Balance Sheet as at 31st March 2016					
Capital / Liabilities	Schedule No.	As at 31st March 2016	Assets	Schedule No.	As at 31st March 2016
Capital Fund	1	35,68,370.00	Fixed Assets	6	35,68,370.00
Restricted Fund	2	38,72,903.50	Current Assets, Loans & Advances		
Current Liabilities			Current Assets		
Vat Payable		58,826.00	Cash in Hand	3	37,226.00
			Cash at Bank	4	38,24,503.50
					74,30,099.50
			Loans & Advances	5	70,000.00
Total		75,00,099.50	Total		75,00,099.50

In terms of our report of even date

Ram Shankar & Associates
Chartered Accountants
Firm registration No. 017626C

RAM SHANKAR
Managing Partner
M.No:- 421258


Place : Patna
Date : 14th September, 2016




Bihar State Disaster Management Authority (Govt. Of Bihar) 2nd Floor, Pant Bhawan, Bailey road, Patna:-800001 Income & Expenditure Account for the year ended 31st March 2016			
Expenditure	For the year ended 31-3-2016	Income	For the year ended 31-3-2016
Commercial & Special Services	125,88,539.00	Fund Received to the extent utilized during the	428,87,871.50
Electricity Expenses	5,40,890.00	Less: Expenditure in Fixed Assets	
Medical Reimbursement	1,57,079.00	transferred to Capital Fund Account	8,61,943.00
Office Expenses	75,36,213.50		420,25,928.50
Printing & Publication	30,12,002.00	Miscellaneous Income	
Prize	1,21,000.00	Bank Interest	6,08,521.00
Rent Rates & Taxes	4,77,823.00	Sale of Scrap (Old Battery)	7,000.00
Salary	164,82,228.00		
Telephone Expenses	4,38,653.00		
Travelling Allowance	7,80,139.00		
Vechile Fuel & Maintenance	5,06,883.00		
	426,41,449.50		
Add: Fixed Assets purchased during the year	8,61,943.00		
Total Expenditure	435,03,392.50		
Less: Fixed Assets transferred	8,61,943.00		
Total	426,41,449.50	Total	426,41,449.50

In terms of our report of even date

Ram Shankar & Associates
Chartered Accountants
Firm registration No. 017626C


RAM SHANKAR
Managing Partner
M.No:- 421258



Place : Patna
Date : 14th September, 2016

Bihar State Disaster Management Authority 2nd Floor, Pant Bhawan, Bailey road, Patna:-800001 Receipts & Payments Accounts for the year ended 31st March 2016			
Receipts	For the year ended 31-3-2016	Payments	For the year ended 31-3-2016
Opening Balance		Commercial & Special Services	125,88,539.00
Cash in Hand	39,694.00	Electricity Expenses	5,40,890.00
Cash at Bank	41,59,180.00	Medical Reimbursement	1,57,079.00
Loans & Advances	71,901.00	Office Expenses	74,77,387.50
		Printing & Publication	30,12,002.00
		Prize	1,21,000.00
		Rent Rates & Taxes	4,77,823.00
		Salary	164,82,228.00
		Telephone Expenses	4,38,653.00
		Travelling Allowance	7,80,139.00
		Vechile Fuel & Maintenance	5,06,883.00
Funds Received		Fixed Assets	8,61,943.00
From Government of Bihar	424,90,000.00		
Miscellaneous Income			
Bank Interest	6,08,521.00		
Other Income (Sale Of Scrap, Old battery)	7,000.00	Closing Balance	
		Cash in Hand	37,226.00
		Cash at Bank	38,24,503.50
		Loans & Advances	70,000.00
	473,76,296.00		473,76,296.00



In terms of our report of even date



Ram Shankar & Associates
Chartered Accountants
Firm registration No. 017626C

RAM SHANKAR
Managing Partner
M.No:- 421258



Place : Patna
Date : 14th September, 2016

Bihar State Disaster Management Authority (Govt. of Bihar)	
Schedules to the Balance Sheet	
Schedule 1	
Capital Fund	As at 31st March 2016
Opening Balance	27,06,427.00
Add : Transferred during the year being Capital Expenditure in nature	8,61,943.00
Total	35,68,370.00
Schedule 2	
Restricted Fund	As at 31st March 2016
Opening Balance	42,70,775.00
Add:- Fund from Government of Bihar	424,90,000.00
Bank Intrest	6,08,521.00
Other Income	7,000.00
Total (A)	473,76,296.00
Less: Expenditure incurred during the year	426,41,449.50
Less: Expenditure on Fixed Assets transferred to Capital Fund	8,61,943.00
Total (B)	435,03,392.50
Total (A-B)	38,72,903.50
Schedule 3	
Cash in Hand	
Particulars	As at 31st March 2016
<u>Cash in hand</u>	37,226.00
Schedule 4	
Cash At Bank	
Particulars	As at 31st March 2016
State Bank of India (S.k.puri Branch) Account No. 33641154008	38,24,503.50
Total	38,24,503.50
In terms of our report of even date	
Ram Shankar & Associates Chartered Accountants Firm registration No. 017626C	
 RAM SHANKAR Managing Partner M.No:- 421258	
	
Place : Patna Date : 14th September, 2016	

Bihar State Disaster Management Authority (Govt. of Bihar)	
Schedule 5	
Loans & Advances (Asset)	As at 31st March 2016
Ajit Kumar Samaiyar	5000.00
Anil Kumar Jha	15000.00
Anand Bijeta	20000.00
Anuj Tiwari	15000.00
Asif Sahab	5000.00
Rajesh K Naraen	5000.00
Vishal Vasvani	5000.00
Grand Total	70000.00
<p>In terms of our report of even date</p> <p>Ram Shankar & Associates Chartered Accountants Firm registration No. 017626C</p> <p> RAM SHANKAR Managing Partner M.No:- 421258</p> <p>Place : Patna Date : 14th September, 2016</p> 	

Bihar State Disaster Management Authority (Govt. of Bihar)
Schedules to the Balance Sheet

Schedule 6
Fixed Assets


(Amount in Rs.)

Particulars	Balance as on 01-04-2015	Addition During the year	Balance as on 31-03-2016
Airconditioner	5,95,233.00	43,000.00	6,38,233.00
Computer	4,02,256.00	2,68,900.00	6,71,156.00
Laptops	8,23,100.00	-	8,23,100.00
UPS/Inverter	76,050.00	-	76,050.00
Furniture	1,78,868.00	4,59,743.00	6,38,611.00
Speaker Telephone Set	5,775.00	-	5,775.00
LCD TV/TV	96,200.00	29,300.00	1,25,500.00
Water Filter	68,800.00	-	68,800.00
Hard Disk	9,818.00	-	9,818.00
Camera	14,800.00	-	14,800.00
Fire Extinguisher	9,627.00	-	9,627.00
Battery	11,900.00	61,000.00	72,900.00
Printer	2,58,870.00	-	2,58,870.00
Public Address System	92,600.00	-	92,600.00
Wireless Router	2,900.00	-	2,900.00
E-Pabex System	53,130.00	-	53,130.00
Apple Adaptor	6,500.00	-	6,500.00
Total	27,06,427.00	8,61,943.00	35,68,370.00

In terms of our report of even date

Ram Shankar & Associates
Chartered Accountants
Firm registration No. 017626C


RAM SHANKAR
Managing Partner
M.No:- 421258



Place : Patna

Date : 14th September, 2016

Bihar State Disaster Management Authority, (Govt. Of Bihar)				
2nd Floor Pant Bhawan, Patna:- 800001, Bihar				
Bank Reconciliation Statement				
As on Dated 31/03/2016				
	Particulars	Cheque no.	Amount	Amount
	Balance as per Cash Book			38,24,503.50
Add:-				
	Cheque issued but not presented for payment/Bank Interest given by bank /Others			
1	R.k.dabe	009218	2,500.00	
2	Qaumi Tanzeem Publication Private Limited	009233	5,975.00	
3	Bennett Coleman & Co. Limited	009236	4,345.00	
4	Bennett Coleman & Co. Limited	009239	3,102.00	
5	Shashwat printers limited	537389	96,085.00	
6	Farooqui Tanzeem	696189	7,394.00	
7	Arun Mishra	696207	245.00	
8	Medha Suryanshi	793035	15,000.00	
9	Rajendra Ram	793056	5,000.00	
10	Asif Sahab	006339	2,600.00	
11	SBPDCL (Electricity bill of Dr. Uday Kant Mishra)	006340	1,382.00	
13	Accounts Officer (Cash), BSNL O/o PGM TD Patna	006347	9,760.00	
14	Airtel Mobile No. 9473400208	006348	1,000.00	
15	Airtel Mobile No. 7763801442	006349	1,817.00	
16	Airtel Mobile No. 7541812020	006350	1,703.00	
17	Airtel Mobile No. 9818997029	006351	750.00	
18	Jagjiwan Singh	006355	14,300.00	
19	Sargandha Vatika	006359	12,000.00	
20	Shankar Jha	006360	1,937.00	
21	Shri Enterprises	006361	6,883.00	
22	Shri Enterprises	006362	4,652.00	
23	Shri Enterprises	006363	7,380.00	
24	Shri Enterprises	006364	2,700.00	
25	Shri Enterprises	006365	6,180.00	
26	Shri Enterprises	006366	9,243.00	
27	Shri Enterprises	006367	9,432.00	
28	Shri Enterprises	006368	2,336.00	
29	Shri Enterprises	006369	7,105.00	
30	Shri Enterprises	006370	6,720.00	
33	Accounts Officer (Cash), BSNL O/o PGM TD Patna	006300	11,812.00	
35	Ramesh Chandra Jha	941145	308.00	
36	Bihar Institute of Public Administration & Rural Development	941115	15,543.00	
37	Bihar Institute of Public Administration & Rural Development	707986	15,512.00	
44	Excess debited by Bank		(9.00)	
46	Neft Failed		15,000.00	
47	Qaumi Tanzeem	346429	27,921.00	
48	Qaumi Tanzeem	506616	27,921.00	
49	Jagran Prakashan Limited	346449	14,094.00	
50	Jagran Prakashan Limited	346392	27,459.00	
51	Bennett Coleman & Co. Limited	844982	2,688.00	
52	Jagran Prakashan Limited	346422	1,65,118.00	
53	Sahara India Mass Communication	506622	24,190.00	
54	Dy. Commissioner of Commercial Taxes , Central Circle Patna	006372	4,830.00	
55	Dy. Commissioner of Commercial Taxes , West Circle Patna	941107	5,836.00	
56	Dy. Commissioner of Commercial Taxes , Central Circle Patna	506576	505.00	
57	Dy. Commissioner of Commercial Taxes , Gandhi Maidan Patna	506648	5,418.00	
58	Dy. Commissioner of Commercial Taxes , Central Circle Patna	707946	861.00	
59	Dy. Commissioner of Commercial Taxes , East Circle Patna	346361	6,090.00	
60	Dy. Commissioner of Commercial Taxes , Central Circle Patna	845068	1,755.00	
61	Dy. Commissioner of Commercial Taxes , Gandhi Maidan Circle Patna	844994	11,076.00	
62	Dy. Commissioner of Commercial Taxes , Central Circle Patna	874535	1,838.00	



63	Dy. Commissioner of Commercial Taxes , West Circle Patna	874523	918.00	
64	Dy. Commissioner of Commercial Taxes , West Circle Patna	874529	5,067.00	
65	Sujata Hotels Private Limited	707912	40,697.00	
66	Dr. Rajan Sinha	346440	5,000.00	
67	Prof. Santosh Kumar	346441	5,000.00	
68	Dr. Mukund Das	346442	5,000.00	
69	Vijay Shil Gautam	346407	5,000.00	
70	Rajesh Chandra Sharma	346399	5,000.00	
71	Pradhan Parth Sarthi	346372	5,000.00	
72	Bharat Jyoti	346373	5,000.00	
73	Adhikshak Sachivalaya Mudranalaya	845069	1,623.00	
74	Goodone Infotech	845017	3,951.00	
75	Bhusampada sah nikasi evam vyayan Padadhikari	042626	5,856.00	
76	Arun Mishra	874501	245.00	
77	Sunny Star Hotel Private Limited	941181	7,050.00	
78	Income Tax	845075	1,013.00	
		Total	7,36,712.00	7,36,712.00
			Total	45,61,215.50
Less:-	Cancellation of Draft in Favour of Dy Director GPF directorate Bihar Patna, not deposited in bank			41,374.00
	Bank Balance as per Bank Statement (On the basis of Bank Fund Reconciliation Statement)			45,19,841.50



In terms of our report of even date

Ram Shankar & Associates
Chartered Accountants
Firm registration No. 017628C

RAM SHANKAR
Managing Partner
M.No:- 421258

Place : Patna
Date : 14th September, 2016



Reconciliation Statement of Bank Balance			
Balance as per Bank Statement as on dated 31.03.2016			50,11,447.50
Less:-Funds Other than "Grants-in-Aid Salary and Grants-Aid- Other than Salary" received from Govt. Of Bihar viz. NIDM,others.	Received	Spent	Unspent Balance or Cheque issued but not cleared till 31.03.2016
Other Dep Transfer	2,10,000.00	2,10,000.00	-
Other Dep Transfer	72,000.00	72,000.00	-
Other Dep Transfer	18,000.00	18,000.00	-
Other Dep Transfer	5,00,000.00	52,500.00	4,47,500.00
Other Dep Transfer	73,513.00	71,907.00	1,606.00
Other Dep Transfer	21,000.00	-	21,000.00
Other Dep Transfer	21,500.00	-	21,500.00
Total	9,16,013.00	4,24,407.00	4,91,606.00
Closing Bank Balance for Grants-in-Aid			45,19,841.50
In terms of our report of even date			
Ram Shankar & Associates Chartered Accountants Firm registration No. 017626C  RAM SHANKAR Managing Partner M.No:- 421258  Place : Patna Date : 14th September, 2016			

भूकंपरोधी मकान बनाने को प्रशिक्षण

पटना | सिद्धार्थ खत्री

पूरे में भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्राथमिकीय को प्रशिक्षण प्रदान करता है। भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों को प्रशिक्षण के दौरान भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

सुरक्षा के लिए

- भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए प्रशिक्षण के दौरान भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।
- भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए प्रशिक्षण के दौरान भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

30 हजार तक तकरोधी मकान बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए प्रशिक्षण के दौरान भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए प्रशिक्षण के दौरान भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए प्रशिक्षण के दौरान भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए प्रशिक्षण के दौरान भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए प्रशिक्षण के दौरान भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए प्रशिक्षण के दौरान भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

आपदा जोखिम घटाने को जिला स्तर पर होगा प्रबंधन

विपदा के वक़्त स्थानीय प्रशासन की अग्रणी भूमिका को देखते हुए दिया गया जिला प्राधिकरणों को सुदृढ़ करने पर जोर



जिला प्राधिकरणों को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया। जिला प्राधिकरणों को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया। जिला प्राधिकरणों को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया।

जलवायु परिवर्तन से निबटने को एवशन प्लान

पटना | जलवायु परिवर्तन व उसके दुष्परभावों से निबटने के लिए बिहार सरकार की ओर से एक एवशन प्लान बनाया जाएगा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सलाहकार समिति की बैठक में इस पर कई लोगों ने अपने विचार रखे।

उपप्रमुख अमिताज कुमार सिन्हा ने कहा कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की सलाहकार समिति की बैठक में शामिल अग्रणीयों को एवशन प्लान में शामिल किया जाएगा। अपने दृष्टिकोण में देता कि कभी-कभी पर खतरा भी बन सकता है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर काम कर एवशन प्लान बनाया जाएगा। बिहार के संबंध में विशेषज्ञों ने कई सुझाव दिए हैं।

जागरूकता के बल पर आपदा से निबटना संभव : चंद्रशेखर

पटना | सिद्धार्थ खत्री

आपदा प्रबंधन से निबटने के लिए जागरूकता के बल पर आपदा से निबटना संभव है। चंद्रशेखर ने कहा कि जागरूकता के बल पर आपदा से निबटना संभव है।



चंद्रशेखर ने कहा कि जागरूकता के बल पर आपदा से निबटना संभव है।

सेलेंडर की आग बुझाने की ट्रेनिंग

पटना | 17 अप्रैल 2015



सेलेंडर की आग बुझाने की ट्रेनिंग का आयोजन हुआ।

बिहार अनेक आपदा के खतरे वाला क्षेत्र : मंत्री

पटना | बिहार अनेक आपदा के खतरे वाला क्षेत्र है। मंत्री ने कहा कि बिहार अनेक आपदा के खतरे वाला क्षेत्र है।

पटना 3 जुलाई, 2015

हजार बच्चे करेगे प्राकृतिक आपदा से निबटने के लिए प्रशिक्षण



हजार बच्चे करेगे प्राकृतिक आपदा से निबटने के लिए प्रशिक्षण।

त्वरित कार्रवाई से ही आपदा पर काबू संभव

पटना | सिद्धार्थ खत्री

आपदा प्रबंधन के लिए त्वरित कार्रवाई से ही आपदा पर काबू संभव है। सिद्धार्थ खत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए त्वरित कार्रवाई से ही आपदा पर काबू संभव है।



मल्टी-हाज़र डिस्ट्रिक्ट डिस्टर मैनजमेंट प्लान की बैठक का आयोजन हुआ।

भूकंपरोधी मकान के लिए खुलेंगे सहायता केंद्र

पटना | सिद्धार्थ खत्री

भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए सहायता केंद्र खोले जाएंगे। सिद्धार्थ खत्री ने कहा कि भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए सहायता केंद्र खोले जाएंगे।



भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए सहायता केंद्र का उद्घाटन हुआ।

आपदा से लोगों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता

पटना | सिद्धार्थ खत्री

आपदा से लोगों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है। सिद्धार्थ खत्री ने कहा कि आपदा से लोगों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है।

भूकंपरोधी मकान के लिए मिलेगी मुफ्त सलाह

पटना | सिद्धार्थ खत्री

भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए मुफ्त सलाह मिलेगी। सिद्धार्थ खत्री ने कहा कि भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए मुफ्त सलाह मिलेगी।



भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए मुफ्त सलाह का आयोजन हुआ।

आपदा में कम हो क्षति, इसके लिए जागरूकता जरूरी : मंत्री

पटना | सिद्धार्थ खत्री

आपदा में कम हो क्षति, इसके लिए जागरूकता जरूरी है। मंत्री ने कहा कि आपदा में कम हो क्षति, इसके लिए जागरूकता जरूरी है।



आपदा में कम हो क्षति, इसके लिए जागरूकता जरूरी है।

प्राधिकरण : खबरों में

Group	Profile	Constituent Districts
Group A Districts (10)	Mainly Flood Prone and Earthquake Zone V	Araria, Darbhanga, East Champaran, Kishanhanj, Madhepura, Madhubani, Saharsa, Sheohar, Sitamarhi, and Supaul
Group B Districts (18)	Mainly Flood Prone and Earthquake Zone IV	Banka, Begusarai, Bhagalpur, Bhojpur, Gopalganj, Katihar, Khagariya, Lakhisarai, Muzaffarpur, Nalanda, Patna, Purnia, Saran, Samastipur, Sheikhpura, Siwan, Vaishali, and West Champaran
Group C Districts (10)	Mainly Drought Prone and Earthquake Zone III	Arwal, Aurangabad, Buxar, Gaya, Jamui, Jehanabad, Kaimur, Munger, Nawada, and Rohtas

All Districts in Groups A, B and C prone to fire, hail storm, heat wave, cold wave, lightning, road accidents and stampede etc.



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना-800 001, फोन : +91 (612) 2522032, फैक्स : +91 (612) 2532311.

Visit us : www.bsDMA.org; e-mail : info@bsDMA.org

